



दिनांक:- 10.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्ता को किया गिरफ्तार..

जनपद में आमागी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवारस्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत दिनांक 09.04.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियान सम्मलित होकर ग्राम पिडारी के पास से अभियुक्ता उमा देवी पत्नी भानू प्रताप सिंह उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 26 अदद क्वाटर देशी शराब अवैध बरामद की गयी, उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 124/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण..।

उमा देवी पत्नी भानू प्रताप सिंह उम्र करीब 40 वर्ष नि० ग्राम पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम..।

1. उ०नि० पुरुषोत्तम विश्वकर्मा
2. हे०कां० रामस्वरूप ,
3. कां० दीपेश कुमार
4. कां० नीतेश कुमार,
5. कां० इन्द्रपाल चौहान
6. कां० धर्मेन्द्र यादव
7. म०कां० प्राची





दिनांक:- 10.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त किये गिरफ्तार...

जनपद में आमागी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत दिनांक 09.04.2021 को **SHO** कुलपहाड़ श्री रविन्द्र कुमार तिवारी द्वारा गठित थाना पुलिस व आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम की मदद से अवैध शराब सहित 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. संगीता पत्नी भारत कबूतरा उम्र करीब 40 को चुरारी काबूतरा डेरा बहद ग्राम चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से मय 02 अदद प्लास्टिक की पिपियों में 15 ली० अवैध कच्ची देशी शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया व 2. मनमोहन पुत्र प्रभुदयाल राजपूत उम्र करीब 60 वर्ष को चुरारी सतारी मोड़ से 20 कदम की दूरी पर वहद ग्राम सतारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 15 ली० व एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में 32 कावर्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु०अ०सं० 77/2021 व मु०अ०सं० 78/2021 धारा 60 EX ACT के मुकदमे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण का विवरण:-

- (1) संगीता पत्नी भारत कबूतरा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम चुरारी कबूतरा डेरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
- (2) मनमोहन पुत्र प्रभुदयाल राजपूत उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.उ०नि० रघुनाथ यादव
- 2.महिला कां० प्रिया सिंह

आबकारी टीम

- 1.आबकारी निरीक्षक योगेश कुमार गुप्ता
- 2.कां० मुश्ताक उल्ला 3.कां० सैय्यद इरशाद





दिनांक:- 10.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पंचायत चुनाव को भयमुक्त कराने के दृष्टिगत थाना पनवाड़ी पुलिस ने 02 गैंग में शामिल 07 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध की गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही...

पुलिस अधीक्षक महोबा अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल, शान्तिपूर्ण/भयमुक्त वातावरण में कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा चुनाव को प्रभावित करने वाले शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 09.04.2021 को SHO पनवाड़ी श्री विनोद कुमार व टीम द्वारा अभियान में शामिल होकर **प्रथम गैंग के अभियुक्तगण** क्रमशः 1.मिस्तर यादव उर्फ अस्तराम पुत्र परशुराम, गैंग लीडर 2. निरपत सिंह यादव पुत्र छेदालाल 3. देवीदयाल साहू पुत्र हरि साहू उर्फ हजारी प्रसाद 4. बेटू ढीमर उर्फ गनेशी पुत्र कालीचरन व **द्वितीय गैंग के अभियुक्तगण** क्रमशः 1.अंगद कबूतरा पुत्र स्व0 मानसिंह, गैंग लीडर 2. जड्डा कबूतरा 3. जितेन्द्र कबूतरा पुत्रगण स्व0 शम्भू सिंह के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.सं. 70/2021 व मु0अ0सं0 71/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

उक्त दोनो गैंग के गैंग लीडर द्वारा अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु अपमिश्रित (मिलावटी) शराब निष्कर्षण / बिक्री करके अनुचित धन अर्जित करते हैं व इनके विधिविरुद्ध क्रियाकलापों से आमजन में भय व्याप्त रहता है।

अपराधियों के नाम जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी –

(प्रथम गैंग का विवरण)

1.मिस्तर यादव उर्फ अस्तराम पुत्र परशुराम निवासी स्योढ़ी थाना पनवाड़ी जिला महोबा (गैंगलीडर)।

2. निरपत सिंह यादव पुत्र छेदालाल निवासी स्योढ़ी थाना पनवाड़ी जिला महोबा (सक्रिय सदस्य)।

3.देवीदयाल साहू पुत्र हरि साहू उर्फ हजारी प्रसाद निवासी स्योढ़ी थाना पनवाड़ी जिला

महोबा(सक्रिय सदस्य)।

4. बेटू ढीमर उर्फ गनेशी पुत्र कालीचरन निवासी स्योढ़ी थाना पनवाड़ी जिला महोबा (सक्रिय सदस्य)

(द्वितीय गैंग का विवरण) 1. अंगद कबूतरा पुत्र स्व0 मानसिंह निवासी कबूतरा डेरा मजरे छतेसर थाना पनवाड़ी जिला महोबा (गैंगलीडर)।

2. जड्डा कबूतरा पुत्र स्व0 शम्भूसिंह निवासी चुरारी थाना कुलपहाड़ जिला महोबा (सक्रिय सदस्य)।

3. जितेन्द्र कबूतरा पुत्र स्व0 शम्भूसिंह निवासी चुरारी थाना कुलपहाड़ जिला महोबा (सक्रिय सदस्य)।





दिनांक:- 10.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार...

जनपद में आमागी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत **SHO** चरखारी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम ने अभियान में सम्मिलित होकर आज दिनांक 10.04.2021 को भगवती पत्नी गुलाब कबूतरा के मकान के सामने कबूतरा डेरा सूपा से 02 नफर अभियुक्ता क्रमशः 1. ओमवती पत्नी मंगल कबूतरा उम्र 25 वर्ष व 2. पूजा पत्नी शिवप्रसाद कबूतरा उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया बरामदगी के आधार पर अभियुक्तागणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.स. 88/21 व 89/21 धारा 60 **EX ACT** पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्तागण ओमवती व पूजा के कब्जे से एक-एक प्लास्टिक की पिपिया में 30-30 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त टीम का विवरण...।

1. उ.नि. अनूप कुमार पाण्डेय 2. का. संजय कुमार 3. म.का. नेहा देवी
1. आबकारी निरीक्षक कुसमाकर धर 2. आबकारी सिपाही अभिषेक कुशवाहा

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण...।

1. ओमवती पत्नी मंगल कबूतरा उम्र 25 वर्ष।
2. पूजा पत्नी शिवप्रसाद कबूतरा उम्र 30 वर्ष निवासीगण.. कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा।





दिनांक:- 10.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सकुशल व भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से थाना महोबकंठ में नियुक्त सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये सख्त निर्देश...

जनपद में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के परिपेक्ष्य आज दिनांक 10.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना महोबकंठ का औचक निरीक्षण करते हुये चुनाव रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर का प्रमुख रूप से अवलोकन किया गया जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा ने थाना हाजा के समस्त कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करते हुये कहा कि पंचायत चुनाव में सभी बीट अधिकारी अपनी अहम भूमिका तय करने, अपराधियों पर पैनी नजर रखते हुये उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने सम्बन्धी निम्नांकित सख्त निर्देश पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा दिये गये।

1. सभी सम्बन्धित चुनाव रजिस्टर व ग्राम अपराध रजिस्टर का अवलोकन कर लें व पूर्व के विवादों व वर्तमान विवादों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही करें।
2. पूर्व व वर्तमान प्रधानों के मध्य विवादों का चिन्हीकरण एवं आवश्यक कार्यवाही।
3. अवैध शराब की ब्रिकी पर कड़ी कार्यवाही करना एवं शराब ठेको की प्रभावी चेकिंग करना।
4. सभी अपनी बीट में भ्रमणशील रहेंगे साथ ही पंचायत चुनाव को प्रभावी करने वाले विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।
5. संवेदशील/अतिसंवेदनशील बूथ/गाँवों का भ्रमण/परिशीलन करना।
6. पीस कमेटी/डिजीटल वालंटियर्स सदस्यों के साथ संवाद स्थापित कर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र की गोपनीय जानकारियों से रुबरु रहना।

इस दौरान थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री लाखन सिंह, पीआरओ उ0नि0 राजेश मौर्य व थानाहाजा के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।





दिनांक:- 10.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“एण्टी रोमियो टीम” द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओ/महिलाओं को किया गया जागरुक



आज दिनांक 10.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपदीय थानों द्वारा संचालित हो रहे “एण्टी रोमियो टीम” द्वारा थाना क्षेत्र के बस स्टैण्ड, रेलवे-स्टेशन, मुख्य बाजार, कोचिंग संस्थानों आदि जगहों में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं एवं छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करते हुए कानूनी जानकारी दी गई। जिससे उनमें आत्म-विश्वास बढ़े एवं महिला हिंसा के प्रति जागरुक हो सके।

इसके साथ ही प्रभारी एण्टी रोमियो टीम निरीक्षक रचना सिंह, प्रभारी महिला चौकी उ०नि० नीलम यादव, उ०नि० शिल्पी शुक्ला महिला थाना मय टीम के क्षेत्र में पैदल गस्त करके बालिकाओं/महिलाओं को आवश्यक हेल्पलाइन नम्बरों यथा- 112, 1090, 1076 व जनपदीय थानों के नं० नोट कराये गये एवं शोहदों को चेतावनी दी गई।





दिनांक:- 10.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पंचायत चुनाव के मद्देनजर क्षेत्राधिकारीगणों द्वारा अपने सर्किल में पैदल गस्त के दौरान की गई संदिग्धों की चेकिंग एवं यातायात/कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर किये चालान

पैदल गस्त के अपने थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गई एवं आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई।

यातायात/कोविड-19 नियमों के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा **145 वाहनों से 11200/-रु० शमन शुल्क व 60 ई-चालान** किये गये।



आज दिनांक 10.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र, सीओ कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह द्वारा अपने-अपने थाना सर्किल में मय पुलिस फोर्स के पैदल गस्त के दौरान संदिग्धों की चेकिंग की गई एवं शराब में दुकानों को भी चेक किया गया। जनपदीय थानों द्वारा भी





दिनांक:- 10.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना खरेला के “महिला हेल्प डेक्स” का किया गया निरीक्षण एवं प्र0नि0 को दिये पंचायत चुनाव सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश



आज दिनांक 10.04.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम के द्वारा थाना खरेला में “मिशन शक्ति” के तहत स्थापित “महिला हेल्प डेक्स” का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के आगन्तुक रजिस्टर को चेक किया गया एवं रजि0 में अंकित फरियादियों की जानकारी एवं उनकी समस्याओं के

समाधान/फीडबैक आदि के बारे में ड्यूटी पर उपस्थित महिला आरक्षी से ली गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

साथ ही थाना कार्यालय को भी अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया गया। जिसमें पंचायत चुनाव सम्बन्धी अभिलेखों/रजिस्टर का बारीकी से निरीक्षण किया गया एवं चुनाव मुंशी व प्र0नि0 खरेला श्री विजय सिंह को चुनाव सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराये हुए आचार संहिता का थाना क्षेत्र में पालन कराये जाने के निर्देश दिये गये। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा रिवाई चौकी थाना चरखारी का औचक निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

